कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
शासकीय महात्मा गांधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, इन्दौर
(शासकीय स्वशासी संस्था)

कार्यालय दूरभाष नंबर :— 0731—2527383ईमेल :—dean.ind@mp.gov.in

क्रमांक /4378/स्था/स्वशासी/2024 इन्दौर दिनांक 10/7/24

//कार्यालय आदेश//

शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय इन्दौर से बी.एस.सी. नर्सिंग परीक्षा उत्तीर्ण छात्रायें जो शासकीय सेवा के लिये अनुबंधित (बाण्डेड) हैं की सेवायें शासकीय—स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालयों एवं संबद्ध चिकित्सालयों में नर्सिंग ऑफिसर (स्वशासी) के रिक्त पदों पर अनंतिम रूप से वेतनमान 28700—91300 (लेवल 7) प्रतिमाह एवं समय समय पर स्वीकृत भत्तों पर कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से तीन वर्ष की परिवीक्षा पर पदस्थ किया जाता है :—

S.No.	Name of Student	Father's Name	Candidate Cate.	Selection Cate.	Posting Place
1	VIJAYSHREE REWAPATI	HIRALAL REWAPATI	OBC	UR	Super Speciality Hospital Indore
2	ASTHA VYAS	DAMODAR VYAS	UR	UR	Super Speciality Hospital Indore
3	RENUKA JATAV	JAGDISH JATAV	SC	UR	Super Speciality Hospital Indore
4	ALISHA KHAN	MOHD. JAVED KHAN	OBC	UR	Super Speciality Hospital Indore
5	SHRIYA RAJAK	INDRA KUMAR RAJAK	OBC	UR	School Of Excelence For Eye
6	PRATIKSHA	SURESH SONI	OBC	OBC	Super Speciality Hospital Indore
7	SNEHLATA PRADHAN	MOHAN PRADHAN	ST	ST	Super Speciality Hospital Indore
8	SHARLY PARMAR	DHARMRAJ PARMAR	SC	SC	Super Speciality Hospital Indore
9	Sulochana Bhalerao	Gajanand Bhalerao	SC	SC	School Of Excelence For Eye

आपकी नियुक्ति निम्नलिखित शर्तो के अधीन होगी :—

1. चयनित प्रत्याशी को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व जिला चिकित्सा मण्डल के समक्ष उपस्थित होकर स्वास्थ्य परीक्षण कराना होगा एवं स्वस्थता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा ।
2. मध्यप्रदेश चिकित्सा शिक्षा आदर्श नियम 2018 सह चिकित्सीय संवर्ग के नियम लागू होंगे ।
3. मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ—9/3/2005/नियम/चार दिनांक 02.04.2005 के अनुसार आप पर मध्यप्रदेष सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1976 लागू नहीं होंगे। मध्यप्रदेष शासन वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ—5/1/2005/नियम/चार दिनांक 02.04.2005 के अनुसार मध्यप्रदेष सामान्य भविष्य निधि नियम भी लागू नहीं होंगे।
4. चयनित प्रत्याशी को आदेश जारी होने के दिनांक से अधिकतम 15 दिवस में अनिवार्यतः कार्यभार ग्रहण करना होगा। कार्यभार ग्रहण ना करने की दशा में अनुबंध अनुसार अग्रेतर कार्यवाही की जावेगी।
5. आपकी सेवायें किसी भी समय नियोक्ता द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते देकर समाप्त की जा सकेगी।
6. आपके द्वारा सेवा से त्याग—पत्र देने पर नियमानुसार वॉण्ड राशि जमा करनी होगी। (एक वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर शेष सेवा अवधि हेतु वॉण्ड राशि रू. 2,00,000/— अक्षरी रू. दो लाख का 75 प्रतिशत राशि जमा करनी होगी तथा 02 वर्ष की सेवा पूर्ण उपरांत शेष सेवा अवधि 07 वर्ष पूर्ण न होने तक वॉण्ड की 50 प्रतिशत राशि जमा करनी होगी।)
7. नर्सिंग ऑफिसर की नियुक्ति प्रथम 03 माह के लिए निश्चित पारिश्रमिक रूपये 10,000/— प्रतिमाह पर की जावेगी। 03 माह पश्चात नर्सिंग ऑफिसर की परीक्षा ली जावेगी परीक्षा उत्तीर्ण होने के पश्चात ही अभ्यिर्थियों को नियमित स्थापना के पदों में नियुक्त किया जावेगा। नियमित स्थापना पश्चात आपकी नियुक्ति म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय,भोपाल के ज्ञाप क्रमांक सी,3—13/2019/3/एक भोपाल, दिनांक 12.12.2019 में दिए गए निर्देशानुसार 03 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर होगी । परिविक्षा अवधि में नर्सिंग ऑफिसर के पद के वेतनमान के न्यूनतम का प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष 80 प्रतिशत, तृतीय वर्ष 90 प्रतिशत राशि स्टायपेंड के रूप में देय होगी। परीविक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर वेतनमान में वेतन दिया जाना प्रारंभ किया जाएगा।
8. आपके द्वारा प्रस्तुत कोई भी प्रमाण पत्र/अभिलेख गलत पाये जाने पर नियुक्ति आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा ।
9. आपकी वरिष्ठता संस्था की वरिष्ठता कमानुसार ही रहेगी।
10. इस नियुक्ति में अनुसूचित जाति /जनजाति/अपिव/महिला के पदों के आरक्षण संबंधी प्रावधानों को ध्यान में रखा गया है।
11. आपकी नियुक्ति इस स्वशासी संस्था के सेवा शर्तो के अधीन होगी, संस्था अपनी सेवा शर्तो में आंशिक सुधार एवं परिवर्तन कर सकेगी ।
12. एक बार इस संस्था में नियुक्त होने के पश्चात आपकी सेवायें अन्य संस्थाओं को स्थानांतरित नही होगी।
13. उपस्थिति दिनांक को संपूर्ण प्रमाण पत्र, उपाधियां एवं अन्य प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणित छायाप्रतियां जमा करनी होंगी तथा मूल प्रतियां प्रस्तुत करनी होंगी।
14. आपको कार्य पर उपस्थित होते समय 100 रू के स्टाम्प पर शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
15. संस्था के किसी भी कर्मचारी को राजनैतिक अथवा किसी भी अवैध गतिविधियों में भाग लेने की अनुमति नही होगी
16. आपको कार्य पर उपस्थित होते समय अथवा उपस्थित दिनांक के तीन माह के भीतर महाकौशल नर्सेस रजिस्ट्रेशन का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है अन्यथा आपकी सेवायें स्वतः ही समाप्त मानी जावेगी।
17. चयनित प्रत्याशी की नियुक्ति पुलिस वेरिफिकेशन में उपयुक्त पाये जाने के उपरांत ही मान्य होगी।
18. संबंधित का कार्य एवं व्यवहार उचित ना पाये जाने पर तथा हड़ताल आदि में भाग लेने पर सेवायें समाप्त की जा सकेगी।

निरंतर पेज 01 से

19. शासन द्वारा समय पर दिये गये निर्देशानुसार सेवा शर्तों में परिवर्तन किये जा सकते हैं। यह परिवर्तन वेतन संबंधी शर्तो में भी हो सकता है।
20. भविष्य में यदि कभी भी अर्हता संबंधी कोई भी जानकारी असत्य पायी जाती है तो सेवा समाप्त की जा सकेगी।
21. आपको कार्य पर उपस्थित होते समय जन्मतिथि बाबद प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र की छायाप्रति एवं अन्य वांछित प्रमाण पत्र, दो सेवा पुस्तिका तथा रू. 3 का ट्रेजरी चालान प्रस्तुत करना होगा ।

(डॉ. संजय दीक्षित)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
म.गा.स्मृ. चिकि. महावि. एवं संबद्धचिकित्सालय,
(स्वशासी संस्था) इन्दौर

कमांक / /स्था/स्वशासी/2024 इन्दौर दिनांक

प्रतिलिपिः—सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. संचालक, चिकित्सा शिक्षा मध्यप्रदेश भोपाल।
2. अधीक्षक, सुपर स्पेशिलिटी हॉस्पीटल, इंदौर।
3. अधीक्षक, स्कूल ऑफ एक्सीलेंस फॉर आई, इंदौर।
4. प्राचार्या, शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय, इंदौर।
5. सिविल सर्जन गोविन्द वल्लभपंत मेडिकल बोर्ड जिला चिकित्सालय धार रोड इन्दौर
6. संबंधित की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।
7. कार्यालय आदेश नस्ति ।

(डॉ. संजय दीक्षित)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
म.गा.स्मृ. चिकि. महावि. एवं संबद्ध चिकित्सालय,
(स्वशासी संस्था) इन्दौर